न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2020/00085

1. महेन्द्र आत्मज छीतर धाकड़ जाति धाकड़ निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. कान्ता पत्नि खाना जाति धाकड़ निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
3. सांवरा आत्मज खाना जाति धाकड़ निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
4. कुसुम पुत्री खाना जाति धाकड़ निवासी ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. संवेदक देवलाल मीणा आत्मज नामालूम निवासी ग्राम सूतली तहसील देवली जिला टोंक(राज0)।
4. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. भू–स्वामि जरिये तहसीलदार , तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
6. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर , जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). ललित नागर– अधिवक्ता अपीलांट

(2). पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5, 6

निर्णय दिनांक 27.06.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 44/2017 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी मे कृषि भूमि खसरा संख्या 99 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 1770/98 रकबा 3 बीघा 12 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी की भूमि है जिसकी नक्शे मे तरमीम हो रही है। वादीगण ने भूमि पर इस वर्ष सरसों की फसल बोई थी जो वादीगण ने ही काटी है। एक आम रास्ता खसरा संख्या 99 के पूर्वी ओर से चलकर खसरा संख्या 97 के पास होकर निकलता है। वादीगण के खातेदारी के खेतो के पास होकर एक सार्वजनिक रास्ता निकल रहा है, जो पीढ़ीयो से चला आ रहा है, जो नक्शा ट्रेस मे भी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पास के खेत वालो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनसे मिलीभगत करके शीट मे रास्ता होते हुए भी जबरन वादीगण के खातेदारी के मार्ग मे रास्ता निकालना चाहते है, जो अवैध व अनाधिकृत है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादपत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित रास्ते के बजाय खसरा संख्या 98 के बीच होकर एक नया रास्ता कायम कर पक्की सड़क बनाना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वादीगण की खातेदारी की भूमि के बीच मे होकर रास्ता निकालना चाहते है तथा वर्षो से चले आ रहे वादपत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित रास्ते को बन्द करना चाहते है जिसको नक्शे ट्रेस मे भी बता रखा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 गत सप्ताह से लगातार नया रास्ता कायम करने की धमकियां दे रहे है तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये कि प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी व आधिपत्य के खसरा संख्या 98 व 99 की भूमि से बलपूर्वक वादीगण को बेदखल नहीं करे, भूमि को नष्ट भ्रष्ट नहीं करे, भूमि मे नई सड़क नहीं बनाऐ एवं अन्य किसी प्रकार से खसरा संख्या 98 व 99 मे वादीगण के

हक आधिपत्य मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करवाये, यदि ऐसा नहीं किया गया तो वादीगण भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेंगे, जिससे वादीगण को महान व अपूरणीय क्षति होगी जिसका नकद रूप मे मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। अन्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 98 व 99 के किसी भी हिस्से से वादीगण को बेदखल नहीं करे, भूमि को नष्ट–भ्रष्ट नहीं करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से वादीगण के हक एवं आधिपत्य मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न ऐसा किसी अन्य से करावें। नक्शा ट्रेस मे वर्णित रास्ते को बन्द नहीं करे एवं कोई नया रास्ता नहीं निकाले। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादीगण को बेदखल कर सड़क निकाल देते है तो उसे जरिये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा हटाकर पूर्व स्थिति बहाल कराई जाकर कब्जा वापिस वादीगण को सम्भलाया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा मय विशेष आक्षेप प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11.07.2018 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1, 2, 5, 6 जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलांट ने अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की है। अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय

शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र मे अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ का अवलोकन किया। चूंकि निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 लोक अदालत मे अपीलांट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे पारित की गई, अतः समय पर निर्णय की जानकारी नहीं होने से अपीलांट अपील पेश नहीं कर सका। अपीलाट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तथ्य विरूद्ध, साक्ष्य विरूद्ध एवं संबंधित विधि के पूर्णतया विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 लोक अदालत के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर कोई भी व्यक्ति व सरकारी व गैर सरकारी संस्था को सड़क बनाने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा कृत्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति व संस्था के विरूद्ध अपीलांट को कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने का अधिकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब मे यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा जिस रोड का निर्माण किया जा रहा है, वह रोड खसरा नम्बर 98 व 99 के मध्य स्थित है, और उसी स्थान पर सड़क बनाने का कार्य कर रहे है जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 97, 98, 99 का राजस्व नक्शा अर्थात नक्शा ट्रेस तहसील नैनवां से प्राप्त किया है, जिससे यह प्रकट है कि खसरा नम्बर 97, 98, 99 के पूर्वी दिशा की ओर लगवा रिकॉर्डेड रास्ता कायम हो रहा है। रेस्पोडेन्ट को इसी स्थान पर सड़क का निर्माण करने का अधिकार है न कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि के मध्य। राजस्व रिकॉर्ड मे तथा नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 98 व 99 के मध्य कोई आम रास्ता कायम नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित कर दिया है जो हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद–पत्र का जवाबदावा आने के बाद अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम करनी चाहिए थी। तत्पश्चात् वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य रिकॉर्ड कर वाद का निर्णय बहस अंतिम सुनी जाकर गुणावगुण पर करना

चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का जवाबदावा प्रस्तुत हो जाने के बाद तनकीयात व साक्ष्य रिकॉर्ड किये बिना एवं बहस अंतिम सुने बिना ही राजस्व लोक अदालत मे प्रकरण को खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रतिपादित प्रकिया के विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज करने के बाद यह फाइंडिंग दी है कि तहसीलदार नैनवां, खसरा नम्बर 99 व खसरा नम्बर 1770/98 की वादी की उपस्थिति मे पैमाईश कर वादी को सम्भलावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विरोधाभासी निर्णय पारित किया है। एकतरफ अधीनस्थ न्यायालय वादी के वाद को खारिज करते है और दूसरी तरफ तहसीलदार नैनवां को अपीलांट की भूमि की पैमाईश कर कब्जा सम्भलाने की बात कहते है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय यह तो मानते है कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि स्थित है और इस भूमि पर कोई रास्ता वर्षो पुराना स्थित नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को वाद को खारिज करने मे गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करने मे गलती की है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व जवाबदावा लिये बिना ही तथा तनकीयात व साक्ष्य रिकॉर्ड किये बिना ही एकतरफा रूप से लोक अदालत मे बिना किसी सहमति व उपस्थिति के निर्णय पारित फरमाया है, जो कानून के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जो राजीनामा द्वारा निस्तारण किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद मे अधीनस्थ न्यायालय मे कोई भी राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ किंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना व प्रकिया के विपरीत जाकर मनमर्जी से ही अंतिम निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने मे गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

8. पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5 व 6 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 को विधि सम्मत होना बताकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 26.02.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 1770/98 की तरमीम राजस्व नक्शे मे नहीं हो रही है। खसरा नम्बर 99, 97 व 148 के मध्य(उत्तर–दक्षिण) मे पुराना रास्ता नक्शे मे दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व नक्शे मे प्रदर्शित उक्त मार्ग की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016–17 मे जारी हुई है जिसकी पालना मे भूमि पर सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रदर्श C/2-5 पर संलग्न राजस्व नक्शा अनुसार अपीलांट के खाते के खसरा नम्बर 98, 99 एवं खसरा नम्बर 148 के मध्य(उत्तर–दक्षिणी) आम रास्ते के रूप मे दर्शित होना प्रतीत होता है। उक्त नक्शे के अवलोकन से नक्शे मे खसरा नम्बर 1770/98 की तरमीम नहीं होना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.02.2018 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत किया। आदेशिका दिनांक 09.03.2018 पर तलबी जारी होने का आदेश अंकित है। अर्थात प्रकरण मे सभी पक्षकारान की तलबी नहीं हुई थी। आदेशिका दिनांक 22.06.2018 पर केवल सहायक अभियंत सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा एक अन्य हस्ताक्षर अंकित है, अन्य पक्षकारान वादी अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अर्थात यह प्रतीत होता है कि समस्त पक्षकारान दिनांक 22.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं थे। पत्रावली वास्ते अंतिम कार्यवाही दिनांक 11.07.2018 को प्रस्तुत करना अंकित है। आदेशिका दिनांक 11.07.2018 इस प्रकार है, " पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दफतर दाखिल हो।" इस आदेशिका मे कही अंकित नहीं है कि बहस उभयपक्ष हुई या नहीं हुई। प्रकरण मे जवाब प्रतिवादीगण आ चुका था। प्रकरण मे कोई मौका रिपोर्ट भी संलग्न नहीं है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की। आदेशिका दिनांक 22.06.2018 से कहीं प्रकट नहीं होता कि वादी अपीलांट राजस्व लोक–अदालत मे सम्मिलित हुए। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे व्यवहार प्रकिया संहिता एवं रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल के प्रावधानों की पालना नहीं की है। जवाबदावा आने के उपरांत अधीनस्थ न्यायायल को तनकी बनानी चाहिए थी तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य

प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था। हालांकि यह सही है कि व्यवहारिक दृष्टि से प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नैनवां को विवादित भूमि के पैमाईश के आदेश दिए है। पत्रावली मे कोई मौका स्थिति की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। परन्तु किसी प्रकार की मौके की रिपोर्ट से पूर्व ही वाद की प्रारंभिक अवस्था मे ही बिना प्रकिया की पालना किए खारिज किया जाना उचित नहीं है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से भी निर्णय किया जाना था तो सभी पक्षकारान को सुनवाई कर उचित अवसर दिया जाकर मौके की सही स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए थी । हमारे मत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए थी। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त पर भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2018 विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 44/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 27.07.2023 को उपस्थित रहे। परन्तु यहां यह भी रेखांकित किया जाता है कि अपीलांट वादी इस निर्णय की आड़ मे तथा इस निर्णय के आधार पर मौके पर पूर्व से प्रचलित रास्ते पर किसी प्रकार का व्यवधान, दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा